

कार्यालय उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह।

(जिला नजारत शाखा)

निविदा की शर्तें

मधुबन गेस्ट हाऊस, मधुबन (गिरिडीह) के लिए तकनिकी एवं वित्तीय निविदा पत्र मुहर बंद लिफाफे में संलग्न करना होगा। तकनिकी निविदा में पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही द्वितीय निविदा खोला जायेगा।

तकनिकी निविदा के शर्तें:-

1. मधुबन गेस्ट हाऊस, मधुबन (गिरिडीह) के लिए प्रत्येक निविदादाता को अपने निविदा के साथ उपायुक्त, गिरिडीह के पदनाम से 50,000.00 (पचास हजार)रुपये का बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में सुरक्षित जमा करना होगा।
3. वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम- 2017 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में निबंधन प्रमाण पत्र देना होगा।
3. निविदादाता के नाम काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र नोटरी पब्लिक का देना होगा।
4. अद्यतन आयकर रिटर्न विगत 03 वर्षों का देना होगा।
5. उपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20,00000.00 (बीस लाख) रुपये का कार्य का लेन-देन किये जाने का प्रमाण पत्र तकनिकी निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को किसी संस्थान/प्रतिष्ठान में कैंटरिंग, हाउस किपिंग एवं साफ सफाई का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा के शर्तें:-

2. मधुबन गेस्ट हाऊस, मधुबन (गिरिडीह) के लिए निविदादाताओं को उपरोक्त सेवार्य देने के ऐवज में मासिक/वार्षिक राशि (सभी कर सहित) QUOTE करना होगा।

उक्त निविदा हेतु आवश्यक शर्तें निम्नांकित है :-

1. मधुबन गेस्ट हाऊस, मधुबन (गिरिडीह) के आंतरिक साफ सफाई जिसके अन्तर्गत कमरों प्रसाधन गृहों सहित पुरे परिसदन की साफ-सफाई रखना आवश्यक होगा।
2. सफल निविदादाता को अपने कर्मियों को यूनिफॉर्म में रखना सुनिश्चित करेंगे।
3. मधुबन गेस्ट हाऊस में अवस्थित लॉन बगीचा में सिजनली फूल-पौधे लगाना होगा। साथ ही आवश्यकतानुसार खाद बीज डालना एवं घास की कटाई करना होगा तथा पुरे बाहरी परिसर को साफ रखना होगा।
4. मधुबन गेस्ट हाऊस के लिए न्यूनतम स्वीपर की संख्या 02 (दो) माली 01(एक), खानसामा 01 (एक), वेटर 01 (एक), हाउसकिपिंग 01 (एक) रखना अनिवार्य होगा। साथ ही इन कर्मियों को भुगतान की प्रक्रिया झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी।
5. हाउसकिपिंग के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य शामिल होगी।
(क) गेस्ट हाऊस में लगे इलेक्ट्रोनिक विद्युतीय उपकरणों एवं जलापूर्ति का रख रखाव एवं वायरिंग, स्वीचबोर्ड, CFL लाईट, इन्धटर, बेसिन, पानी पाईप की आवश्यकतानुसार मरम्मत/नया लगाने का कार्य ।

- (ख) मधुबन गेस्ट हाऊस के कमरों सहित हॉल की साफ सफाई तथा संपूर्ण परिसदन भवन में दरवाजा खिड़की एवं अन्य फर्निचर, सोफा, उपस्कर की मरम्मत एवं पोलिस का कार्य।
- (ग) गेस्ट हाऊस में ठहरे अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुएं जैसे साबुन, तेल, सेम्पू, तैलिया आदि की व्यवस्था करना होगा।
- (घ) बेडसीट, मच्छरदानी, आलऑउट, पर्दा, तकिया, तैलिया इत्यादि की आपूर्ति आवश्यकतानुसार सफाई एवं धुलाई।
- (ङ) मधुबन गेस्ट हाऊस में लगे ए0सी0, पंखा, टी0भी0, गीजर, लाईट की मरम्मत एवं रख रखाव।
6. निर्वाध विद्युत की व्यवस्था (जेनरेटर ईंधन का विपन्न /जनरेटर चालक का भुगतान/जनरेटर की मरम्मत/रख रखाव सहित सभी कार्य) एवं विद्युत विपन्न का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
 7. स्थानीय निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
 8. मधुबन गेस्ट हाऊस, में चाय/नास्ता/भोजन आदि से होने वाली आय संचालन कर्ता को दी जा सकेगी।
 9. मेनू से संबंधित प्रपत्र एवं अन्य कागजात प्राप्त करने हेतु जिला नजारत शाखा में किसी भी कार्य दिवस के दिन संपर्क किया जा सकता है।
 - 10 प्रथम लिफाफा में तकनिकी निविदा एवं द्वितीय लिफाफा में निविदादाताओं को उपरोक्त सेवार्य देने के एवज में मासिक/वार्षिक राशि (सभी कर सहित) QUOTE करना होगा।
 - 11 गुणवत्ता और स्वीकृत दर में आपूर्ति के दौरान किसी प्रकार की हेरा-फेरी या त्रुटि पाये जाने पर फर्म तथा प्रोपराईटर को काली सूची में डालते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
 - 12 गेस्ट हाऊस के कमरों का आरक्षण पूर्वत जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा और किराये से प्राप्त राशि जिला नजारत शाखा, गिरिडीह में जमा की जायेगी।
 - 13 सभी तरह के कर का भुगतान निविदादाता के द्वारा किया जायेगा।
 - 14 सफाई से संबंधित सभी सामग्री यथा झाड़ू, हीट, पोछा, वाईपर, ओडोनील, हारपीक, ब्लीचिंग पाउडर, बाल्टी, जग, इस्टबीन, ग्लास, क्लॉथ, झोल झारन, रुमस्प्रे इत्यादी सफल निविदादाता के द्वारा आपूर्ति किया जायेगा।
 - 15 निविदा स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या सम्पूर्ण निविदा को रद्द या एक से अधिक आपूर्तिकर्ता को आदेश देने का अधिकार अघोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
 - 16 यह निविदा एक वर्ष के लिए है लेकिन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।
 - 17 उपायुक्त, गिरिडीह या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई पदाधिकारी या जिला नजारत उप समाहर्ता द्वारा औचक निरीक्षण के क्रम में कर्मियों की संख्या कम पाये जाने एवं साफ-सफाई में कमी पाये जाने पर सफल निविदादाता पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।


 उपायुक्त,
 गिरिडीह।